

### Relaxation of Age to CET Pass Candidates

\*14/16/131 (\*44) Smt. KIRAN CHOUDHRY (Tosham): Will the Chief Minister be pleased to state:

- a) whether the Government has not issued public notice for relaxation of age to such candidates who has qualified in the CET, when it has been granted before conducting the CET exam;
- b) the reasons for which the Government agency frequently amend the rules; and
- c) the number of candidates who are likely to get chance to appear in the exam who have over-aged due to negligence of the conducting agency?

**MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER**

Sir, a statement is laid on the table of the House.

**Statement of Manohar Lal, Chief Minister in respect of reply to Starred Assembly Question No.\*14/16/131 (\*44) asked by Smt. Kiran Choudhry, MLA Tosham.**

- a) The Government of Haryana allowed age relaxation to only three categories of candidates for CET examination:
- i. Those who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons vide its Notification No. 42/2/2018-5GS-I Dated 25 March 2022.
  - ii. The candidates who have worked on equivalent post on ad-hoc / contract / work-charged / daily wages basis excluding the period of break in any Department / Board / Corporation of Haryana Government including Government-aided-institutions vide its Notification No.22/06/2021-1GS-III dated 25 March 2022.
  - iii. Candidates who belong to certain special categories like scheduled castes, backward classes, persons with disability, etc., vide Notification No. 22/06/2021-1GS-III dated 25 March 2022.

All these relaxations were incorporated in CET-Phase II examination, i.e., Advt. No. 03/2023. Further, the Haryana Staff Selection Commission took a decision on 30 April 2023 that

- i. For the candidates, who were eligible at CET Stage-I but have now become over age be allowed to appear for Stage-II provisionally. If they get selected then their post shall be kept on hold and their case shall be sent to Government for approval / relaxation at that stage.

ii. If due to cancellation of previous examinations, a candidate has crossed the maximum age limit of 52 to enter in Haryana Government Service then he/she shall also be allowed to apply provisionally. In case he/she gets selected then the post shall be kept on hold and Government's opinion will be taken.

b) No Sir, the Government is not frequently amending the rules.

c) None, Sir.

सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास अभ्यर्थियों को आयु में छूट

\*14/16/131(\*44) श्रीमति किरण चौधरी, (तौशाम)—क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:—

- क) क्या सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की, जबकि सीईटी की परीक्षा लेने से पहले इसके लिए आश्वस्त किया गया था; तथा
- ख) सरकारी एजेंसी द्वारा नियमों में बार-2 संशोधन करने के कारण क्या है;
- ग) उन अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अवसर मिलेगा जिनकी आयु उक्त परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की लापरवाही की वजह से अधिक हो चुकी है ?

**मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

श्रीमती किरण चौधरी, विधायक तोशाम द्वारा पूछे गए तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या \*14/16/131 (\*44) के उत्तर के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वक्तव्य।

- क) हरियाणा सरकार ने सीईटी परीक्षा के लिए केवल तीन श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान की।
- i. जिन उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी कुछ विज्ञापनों के लिए आवेदन किया था, जिन्हें बाद में इसकी अधिसूचना संख्या 42/2/2018-5जी.एस.-I दिनांक 25 मार्च 2022 द्वारा प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया था।
  - ii. जिन उम्मीदवारों ने अधिसूचना संख्या 22/06/2021-1जीएस-III दिनांक 25.03.2022 के अनुसार हरियाणा सरकार के अधीन सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम में व्यवधान की अवधि को छोड़कर तदर्थ/अनुबंध/कार्य-प्रभारित/दैनिक वेतन आधार पर समकक्ष पद पर काम किया है।
  - iii. उम्मीदवार जो अधिसूचना संख्या 22/06/2021-1जीएस-III दिनांक 25.03.2022 के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति आदि से संबंधित है।

इन सभी छूटों को सीईटी-स्तर-II परीक्षा अर्थात् विज्ञापन संख्या 03/2023 में शामिल किया गया था। इसके अलावा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 अप्रैल 2023 को एक निर्णय लिया कि

- i. उन उम्मीदवारों के लिए, जो सीईटी स्तर-I में पात्र थे, लेकिन अब अधिक उम्र के हो गए हैं, उन्हें स्तर-II के लिए अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे चयनित हो जाते हैं तो उनका पद रोक कर रखा जाएगा और उनका मामला उस स्तर पर अनुमोदन/छूट के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
- ii. यदि पिछली परीक्षाओं के रद्द होने के कारण, कोई उम्मीदवार हरियाणा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 52 पार कर चुका है, तो उसे भी अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि उसका चयन हो जाता है तो पद को होल्ड पर रखा जाएगा और सरकार की राय ली जाएगी।

ख) नहीं श्रीमान, सरकार बार-बार नियमों में संशोधन नहीं कर रही है।

ग) कोई नहीं, श्रीमान।

\*\*\*\*\*